भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1040

10.02.2025 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण

1040. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशिष्ट उपायों का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वायु प्रदूषण के संवेदनशील लोगों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के संबंध में व्यापक आंकड़े संकलित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे आंकड़ों की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(ङ) स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और उनका समाधान करने के लिए ऐसे अध्ययन करने हेतु प्रस्तावित योजनाओं, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रव्यापी पहल के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है। एनसीएपी के तहत, लगातार पांच वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाले परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तरों के आधार पर मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले शहरों की पहचान की गई है। शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं और महाराष्ट्र के 19 शहरों सहित मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले 130 शहरों में लागू की जा रही हैं।

शहर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं का लक्ष्य शहर के विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, एमएसडब्ल्यू जलाना, निर्माण सामग्री और उद्योग हैं, जिन पर अल्पकालिक

प्राथमिकता वाली कार्रवाई की जाती है और शहरी स्थानीय निकायों, यातायात विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) जैसी जिम्मेदार एजेंसियों के साथ मिलकर मध्यम से लंबी समय सीमा में कार्यान्वयन किया जाता है।

एनसीएपी के तहत शहरी कार्य योजना से संबंधित कार्याकलापों के वित्तपोषण के लिए प्रदर्शन-आधारित-अनुपूरक अनुदान के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है, जिसके लिए अन्य स्रोतों और योजनाओं से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सलाह दी जाती है कि वे स्वीकृत शहरी कार्य योजना के अनुसार इन कार्याकलापों पर धनराशि का उपयोग करें। इसके अलावा, शहरी कार्य योजनाओं (सीएपी) के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू), अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), किफायती परिवहन का संधारणीय विकल्प (सतत), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण (फेम-II), और नगर वन योजना (एनवीवाई) के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों के संसाधनों के समन्वय से जुटाया जाता है।

एनसीएपी के तहत महाराष्ट्र में मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले कुल 19 शहरों में से 09 शहरों (अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, सांगली, सोलापुर) को एनसीएपी के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और 10 शहरों (औरंगाबाद यू.ए., ग्रेटर मुंबई यू.ए., बदलापुर, नवी मुंबई, ठाणे, उल्हास नगर, नागपुर यू.ए., नासिक यू.ए., पुणे यू.ए. और वसई-विरार शहर) को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) के तहत वित्त पोषित किया जाता है।

एनसीएपी और 15वें वित्तीय आयोग (XVFC) अनुदान के तहत, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इन कार्यकलापों को लागू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 30.01.2025 तक महाराष्ट्र के 19 शहरों को कुल 1754.4 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और इनमें से 1271.66 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। एनसीएपी फंड और XV-FC अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (30.01.2025 तक) के लिए उपर्युक्त 19 शहरों को जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का विवरण अनुबंध-I में दी गई है।

इसके अलावा, ऐसा कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर वायु प्रदूषण को सीधे तौर पर संवेदनशील आबादी पर पड़ने वाले दीर्घकालिक स्वास्थ प्रभावों का कारण माना जा सके। वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बिमारियों और इससे जुड़ी हुई अन्य बिमारियों को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। पर्यावरण के अलावा कई अन्य कारकों का स्वास्थ्य पर सामूहिक रूप से प्रतिकूल असर पड़ता है, जिसमें व्यक्तियों की खाद्य आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, चिकित्सा इतिहास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

*****

अनुबंध-I

प्राण पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 30.01.2025 तक) के दौरान एनसीएपी और 15वें वित्त आयोग-अनुदान के तहत जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**शहर**	**जारी की गई धनराशि**	**उपयोग की गई धनराशि**
1	औरंगाबाद यूए	68.3	54.45
2	ग्रेटर मुंबई (जीएम) यूए	938.59	574.65
3	बदलापुर जीएम यूए	2	8.91
4	ठाणे जीएम यूए	-	78.11
5	उल्हासनगर जीएम यूए	2.1	22.53
6	नवी मुंबई जीएम यूए	9.45	52.91
7	नागपुर यूए	142.05	56.25
8	नासिक यू.ए	91.55	50.42
9	पुणे यूए	271.3	173.54
10	अकोला	9.61	9.49
11	अमरावती	34.64	32.83
12	चंद्रपुर	6.99	6.75
13	जलगांव	5.64	3.2
14	जालना	6.35	5.52
15	कोल्हापुर	24.11	15.35
16	लातूर	17.37	7.9
17	सांगली	11.65	9.33
18	सोलापुर	40.35	38.11
19	वसई विरार यूए	72.35	71.41
	कुल	**1754.40**	**1271.66**

*****